02.01.2018

श्री राघव शुक्ला अधिवक्ता सहित आरोपी अनोख सिंह उपस्थित। आरोपी की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा 44(2) जा०फौ० का पेश।

परिवादी द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदन पर सुना गया। मूल प्रकरण क्रमांक <u>147/12</u> का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी को फरार घोषित किया गया है। प्रकरण में आरोपी की आवश्यकता है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विविध आदेश

प्रकरण क्मांक 19482 / 17 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 के आलोक में प्रस्तुत आवेदन धारा 44(2) जा0फो0 विचार उपरांत स्वीकार किया जाता है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। मूल प्रकरण दर्ज पंजी हो।

आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पर उभयपक्ष को सुना गया। परिवादी की ओर से जमानत पर कड़ी आपत्ति करते हुए जमानत निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी अनोख सिंह को दिनांक 09.09.2017 को अनुपस्थित ह गोषित करते हुए उसके विरूद्ध स्थायी गिरफतारी वांरट जारी किया गया है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन में निवेदन किया गया कि वह अत्यधिक वृद्ध होकर 85 वर्ष की आयु का है तथा उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न की है। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को प्रस्तुत परिवाद की राशि किश्तों में जमा करने का निर्देश दिया गया है। आरोपी की ओर से प्रथम किश्त के रूप में 25 हजार रूपए दिनांक 25.12.2017 को जमा किये जा चुके है, जिसकी रशीद की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विविध प्रकरण क्रमांक <u>19482 / 17</u> में पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 के अनुसार भी माननीय न्यायालय की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए तथा आरोपी की वृद्धावस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता हैं कि आरोपी नियमानुसार किश्ते अदा करता रहेगा तथा न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर स्वयं उपस्थित होता (रहेगा तो उसकी ओर से 20000 / − रुपए की रक्षम जमानत एवं समान राशि का बंधपत्र प्रस्तुत होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे ।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 25.01.2018 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, विद्युत गोहद

पुनश्च:- ओदश के पालन में आरोपी अनोख सिंह की ओर से 20000 / – रुपए की जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश। जमानदार बस्सन सिंह पुत्र अनोख सिंह निवासी शंकरपुर थाना एण्डौरी तहसील गोहद द्व ारा पेश की गयी। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला द्वारा की गयी। जमानते बाद जांच तश्दीक कर स्वीकार की जाती है। आरोपी को समक्ष में जमानत पर छोडा जाता है।

त्रेशिष न्यायाधीश, विद्युत गोहद प्रकरण पूर्ववत दिनांक 205.01.2018 को पेश हो।